क्रमांक 30/27,80-एस0 (I) (ए)

प्रेवक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार !

सेवा में

आयुक्त अम्बाला,हिसार मण्डल ।

दिनांक चण्डीगढ़ 30 अक्तूबर, 1980

विषय:—वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट-अनुसूचित जातियों/जन जातियों के विकास तथा संरक्षण हेतु किए गए कार्य बारे टिप्पणी। महोदय,

जपर्युक्त विषय पर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जपायुक्तों/पुलिस अधीक्षकों तथा चप मण्डल अधिक कारियों (ना०)/जपाधीक्षक पुलिस की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने हेतु निर्धारित फार्मों में एक और कालम जोड़ दिया जाये जिसमें Effectiveness in the development and protection of Scheduled Castes/Scheduled Tribes के बारे Reporting Authority द्वारा टिप्पणी दी जाए और वह टिप्पणी निस्नलिखित बिन्दुओं पर हो :---

- (a) Attitude towards Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
 - (b) Sensitivity to Social Justice.
- (c) Ability to take quick and effective action to prevent and quell atrocities and ensure justice to Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
 - (d) Effectiveness in bringing about the development of Scheduled Castes /Scheduled Tribes.

निर्धारित फार्मों का तदानुसार संशोधन करके अग्रिम कार्यवाही की जाए। यह निर्णय वर्ष 1980-81 के लिए लिखी जाने वाली रिपोर्टों से लागू होगा।

कृपया इस पत्र की पावती भीजें।

भवदीय,

हस्ता/-

अवर सचिव, प्रशासन,

नेप्रोह के 0881 (देस 02 कोरिये (087-08 (₹1 (08 कोरिय 07 के स्वाप्त) हुन विक्**रत : मुख्य समिव, हरियाणा सरकार ।**

पृष्ठांकन कमांक 30/27/80-एस 0 (I) (ए) दिनांक चण्डीगढ़ 30 अक्तूबर, 1980

्राहको एक एक प्रति राज्य में सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, उप मण्डल अधिकारियों (ना०) उपाधीक्षक पुलिस को सूचनार्थ प्रेषित है।